भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5630

04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खेल आयुर्वेदिक केंद्र

5630. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र को राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत खेल आयुर्वेदिक केंद्र परियोजना की अनुमति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में ऐसा केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का एनएएम के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) और भविष्य निधि (पीएफ) के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों को कर्मचारियों के मूल वेतन ढांचे में शामिल करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) की अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 2765.29 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान जारी किया गया है और इसमें से 65.44 करोड़ रुपये महाराष्ट्र राज्य सरकार को जारी किए गए हैं। विगत 05 वर्षों के दौरान, आवंटित/जारी की गई धनराशि की महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक** पर दी गई है।

(ख) से (घ): एनएएम दिशानिर्देशों के नम्य घटकों के तहत, आयुष के माध्यम से खेल चिकित्सा के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता का प्रावधान है। चूंकि एनएएम योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। अतः महाराष्ट्र राज्य एसएएपी के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके आयुष के माध्यम से खेल चिकित्सा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। हालांकि, एसएएपी के माध्यम से महाराष्ट्र से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च): मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से एनएएम योजना को कार्यान्वित कर रहा है और जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, कार्यबल की तैनाती संबंधित राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों के कार्यक्षेत्र में आती है। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय, एनएएम दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के तहत, एसएएपी के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कार्यबल की तैनाती सहित विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

*****

संलग्नक

विगत 05 वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, आवंटित/जारी की गई धनराशि की महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	365.41	251.80	296.06	142.38	407.28
2	आंध्र प्रदेश	1900.59	385.40	0.00	0.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	383.33	678.09	180.85	402.04	1186.04
4	असम	1601.32	347.15	639.52	1011.77	3471.45
5	बिहार	2661.29	516.53	1686.07	0.00	1161.06
6	चंडीगढ़	0.00	195.80	94.86	189.73	226.31
7	छत्तीसगढ़	0.00	2691.06	841.309	0.00	2151.42
8	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	63.85	0.00	0.00	0.00	408.45
9	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	गोवा	118.65	65.98	218.98	142.28	628.30
11	गुजरात	2229.69	244.01	466.92	1908.62	2961.42
12	हरियाणा	2299.47	3034.42	647.70	1219.90	3026.58
13	हिमाचल प्रदेश	2045.89	494.94	1261.80	3873.57	3659.22
14	जम्मू-कश्मीर	1848.53	2285.75	1313.10	4895.08	7510.36
15	झारखंड	1522.31	0.00	1309.76	7752.57	2390.42
16	कर्नाटक	1791.70	2184.37	1821.46	1714.08	5031.54
17	केरल	1540.53	2337.58	1153.38	4399.82	7989.40
18	लक्षद्वीप	426.878	19.605	64.257	116.322	332.01
19	मध्य प्रदेश	4012.34	5608.63	3123.19	1716.00	6120.00
20	**महाराष्ट्र**	**4308.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2235.53**
21	मणिपुर	907.07	571.72	170.04	1723.00	0.00
22	मिजोरम	199.51	657.73	259.08	117.27	1057.85
23	मेघालय	348.21	247.97	609.78	796.84	1722.60
24	नागालैंड	950.58	1254.89	232.27	495.78	1016.97
25	ओडिशा	726.09	716.64	1075.38	0.00	0.00
26	पुडुचेरी	238.41	47.66	200.27	623.95	197.08
27	पंजाब	1155.49	89.77	527.28	0.000	109.85
28	राजस्थान	1987.59	2276.40	3189.00	0.00	3731.51
29	सिक्किम	330.59	350.44	99.30	626.06	492.37
30	तमिलनाडु	1993.91	616.58	2348.26	2428.68	6635.76
31	तेलंगाना	934.17	0.00	3132.25	0.00	1225.16
32	त्रिपुरा	0.00	270.08	138.71	1030.90	566.99
33	उत्तर प्रदेश	7923.69	10373.85	13809.72	14437.59	12418.59
34	उत्तराखंड	825.34	656.46	2622.50	1855.79	3234.37
35	पश्चिमी बंगाल	1849.74	247.34	2118.04	1056.58	3379.38
36	लद्दाख	0.00	0.00	187.45	72.26	47.32
कुल		**49490.80**	**39718.64**	**45838.54**	**54748.86**	**86732.59**